

पटना में दिनांक-23 जून, 2015 मंगलवार को अपराह्न 05:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

गृह विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 1. | बिहार कारा हस्तक, 2012 में निहित प्रावधानों के अनुसार राज्य की काराओं में संसीमित बंदियों की धार्मिक आवश्यकताओं की पूर्ति एवं उनमें गुणात्मक सुधार के लिए विभिन्न धर्मों के अनुमति प्राप्त धार्मिक अनुदेशकों को देय वाहन खर्च एवं भत्ता का निर्धारण किये जाने के संबंध में। | 1. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

नगर विकास एवं आवास विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 2. | वित्तीय वर्ष 2015-16 में बिहार के नगर निकायों के लिए वाणिज्यकर विभाग द्वारा पेशाकर मद में पूर्व में की गई कटौती की संचित राशि ₹ 2806.12 लाख (अठारह स करोड़ छः लाख बारह हजार रू० मात्र) सहायक अनुदान के रूप में राज्य में कार्यरत 140 नगर निकायों के बीच जनसंख्या के आधार पर व्यय करने की स्वीकृति के संबंध में। | 2. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 3. | डा० राकेश कुमार पंजियार, तत्कालीन प्रखंड पशुपालन पदाधिकारी, फतुहा सम्प्रति निलम्बित मुख्यालय-जिला पशुपालन कार्यालय, गया को सरकारी सेवा से बर्खास्त किये जाने की स्वीकृति के संबंध में। | 3. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

सामान्य प्रशासन विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 4. | बिहार असैनिक सेवा (न्याय शाखा) (भर्ती), नियमावली 1955 के परिशिष्ट 'ग' में संशोधन के संबंध में। | 4. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

सामान्य प्रशासन विभाग

- | | | | |
|----|--|----|----------|
| 5. | राज्य के लोहार (कमार एवं कर्मकार को नहीं) जाति को उनके आर्थिक एवं सामाजिक उन्नयन हेतु अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित करने की अनुशंसा करने के संबंध में। | 5. | स्वीकृत। |
|----|--|----|----------|

सामान्य प्रशासन विभाग

- | | | | |
|----|---|----|----------|
| 6. | सब जज I -सह-ए०सी०जे०एम०- सह-ए०एस० जे० /सब जज-सह-सी०जे०एम०-सह-ए० एस० जे० / तदर्थ अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत न्यायिक पदाधिकारियों को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के संबंध में। | 6. | स्वीकृत। |
|----|---|----|----------|

सामान्य प्रशासन विभाग

7. वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य महादलित आयोग, बिहार, पटना को गैर योजना मद के अन्तर्गत सहायक अनुदान के रूप में उपबंधित कुल रू० 2,39,34,000/- (दो करोड़, उनचालिस लाख, चौतिस हजार) में से विषय शीर्ष 31 04 वेतन मद में उपबंधित राशि रू० 1,46,28,000/- (एक करोड़, छियालिस लाख, अठाइस हजार) मात्र की स्वीकृति के संबंध में।
7. स्वीकृत।

समाज कल्याण विभाग

8. वित्तीय वर्ष 2015-16 में समेकित बाल संरक्षण योजना (आई०सी०पी०एस०) के अधीन विभिन्न अवयवों हेतु राज्यांश मद में राज्य योजना अंतर्गत उपलब्ध योजना उद्व्यय/बजट उपबंध कुल रूपये 5,00,00,000/- (पाँच करोड़) मात्र के सहायक अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
8. स्वीकृत।

उद्योग विभाग

9. मेसर्स ग्लोबस स्प्रीट्स लि०, नई दिल्ली द्वारा धधुआ, जन्दाहा, अंधराबार चौक, जिला-वैशाली में 120 कें०एल०पी०डी० क्षमता का ग्रेन बेस्ड एवं मोलासेस बेस्ड डिस्टलरी प्लांट की स्थापना हेतु ₹ 160.00 (एक सौ साठ) करोड़ की लागत से निजी पूँजी निवेश की स्वीकृति का प्रस्ताव।
9. स्वीकृत।

लघु जल संसाधन विभाग

10. लघु जल संसाधन विभाग में अन्तर्गत तकनीकी संवर्ग (फीटर इलेक्ट्रीशियन वेल्डर एवं टर्नर) के कर्मियों के सुव्यवस्थित प्रबंधन, नियुक्ति, प्रोन्नति तथा सेवा शर्तों के विनियमन हेतु लघु जल संसाधन विभाग के लिए तकनीकी सम्वर्ग (फीटर इलेक्ट्रीशियन वेल्डर एवं टर्नर) (लघु जल संसाधन विभाग) नियमावली, 2015 की स्वीकृति के संबंध में।
10. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

11. बांका जिलान्तर्गत अंचल बांका के वार्ड सं०-08, खाता सं०-452, खेसरा सं०-858/2, रकबा-2400 वर्ग मीटर या 0.2411 हेक्टेयर (59.5 डिसमिल) भूमि जो कि प्रखण्ड परिसर बांका के अन्तर्गत है, को 33/11 कें०भी० विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु साउथ बिहार पावर ट्रिस्टीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को बी०आर० जी०एफ० (खास योजना) फेज-01 के अधीन 23,80,000.00 (तेईस लाख अस्सी हजार) रू० सलामी एवं सलामी के 5 प्रतिशत का 25 गुणा अर्थात् 29,75,000.00 (उनतीस लाख पचहत्तर हजार) रू० पूँजीकृत मूल्य सहित कुल 53,55,000.00 (तिरपन लाख पचपन हजार) रू० के भुगतान पर स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।
11. स्वीकृत।

संसदीय कार्य विभाग

12. पंचदश बिहार विधान सभा का सप्तदश-सत्र तथा बिहार विधान परिषद् का 180वें सत्र (मानसून सत्र) के औपबंधिक कार्यक्रम की स्वीकृति के संबंध में। 12. स्वीकृत।

शिक्षा विभाग

13. वित्तीय वर्ष 2015-16 में राज्य योजनान्तर्गत बिहार अंगिका अकादमी का गठन करने के साथ-साथ रूपये पाँच लाख मात्र टोकन स्वरूप सहायक अनुदान स्वीकृत करने के संबंध में। 13. स्वीकृत।

वित्त विभाग

14. बिहार वित्त नियमावली में संशोधन के संबंध में। 14. स्वीकृत।

भवन निर्माण विभाग

15. पटना के गर्दनीबाग क्षेत्र में उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशों, माननीय मंत्रियों/समकक्ष तथा विभिन्न श्रेणी के पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों के आवास निर्माण हेतु विस्तृत योजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए वास्तुविद परामर्शी के चयन के लिए सैद्धांतिक सहमति के संबंध में। 15. स्वीकृत।

गृह (विशेष) विभाग

16. गृह रक्षकों के कर्तव्य भत्ता एवं अन्य सुविधाओं में वृद्धि के संबंध में। 16. इस शर्त के साथ स्वीकृत कि गृह रक्षकों के कार्यरत रहने की आयु सीमा 58 वर्ष से बढ़ाकर 60 वर्ष की जायगी।

पथ निर्माण विभाग

17. बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता की कंडिका 159 (क) (i) एवं 159 (ख) में संशोधन के संबंध में। 17. स्वीकृत।

कृषि विभाग

18. खरीफ 2015 में अनियमित मॉनसून/बाढ़/सूखे जैसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर वर्ष 2015-16 में सिंचाई के लिए डीजल अनुदान हेतु 90.7175 करोड़ रूपये तथा आकस्मिक फसल योजना के लिए 24.2825 करोड़ रूपये, कुल 115.00 करोड़ रूपये (एक अरब पन्द्रह करोड़ रूपये) की लागत पर कार्यक्रम कार्यान्वयन तथा योजना उद्व्यय एवं बजट उपबंध के अधीन व्यय की स्वीकृति। 18. स्वीकृत।